कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
(कार्मिक अनुभाग–2) सिंचाई विभाग,
उत्तराखण्ड़, देहरादून

पत्रांकः 3978 / प्र0अ0 / सिं0वि0 / का0–2 / ई–14 / स्था0, दिनांक ~~10~~ 12 जुलाई 2024

:– कार्यालय ज्ञाप –:

उत्तराखण्ड़ लोक सेवकों के लिए निर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम–2017 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत मण्डलीय अनुसचिवीय अधिष्ठान में कार्यरत निम्नलिखित वरिष्ठ सहायक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कालम–3 में उल्लखित कार्यालय से कालम–4 में अंकित कार्यालय में एतद्द्वारा जनहित में स्थानान्तरित किया जाता है।

क0 सं0	नाम / जन्मतिथि	कार्यरत कार्यालय का नाम	स्थानान्तररित कार्यालय का नाम	स्थानान्तरण अधिनियम की धारा
1	2	3	4	5
(अनिवार्य स्थानान्तरण सुगम से दुर्गम)				
1	श्री हरीश चन्द्र जोशी / 30.06.72	परिकल्प मण्डल, रुड़की	सिंचाई कार्य मण्डल, रुद्रप्रयाग	अधिनियम की धारा–17(1)(क) से आच्छादित।

सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि स्थानान्तरण अधिनियम–2017 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत अपने अधीनस्थ कार्यालय में स्थानान्तरित प्रत्येक कार्मिक को निर्धारित समयान्तर्गत कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेगें तथा अनुपालन आख्या तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध करायेगें:–

1. स्थानान्तरित कार्मिक को पदस्थापित कार्यालय में आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के अन्तर्गत बिना किसी प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। तद्नुसार सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी द्वारा सम्बन्धित कार्मिक को सस्मय कार्यमुक्त कराना होगा।
2. स्थानान्तरित कार्मिक को कार्यमुक्त किये जाने के उपरान्त वर्तमान कार्यालय द्वारा वेतन आहरित नहीं किया जायेगा।
3. स्थानान्तरित कार्मिक को नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining) का उपभोग कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त कर सकेगें।
4. स्थानान्तरित कार्मिक को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
5. स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरूद्व धारा 24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
6. यदि स्थानान्तरित कार्मिकों द्वारा स्थानान्तरण रोकने के लिए अपने माता–पिता, पति / पत्नी अथवा अन्य सम्बन्धियों से प्रत्यावेदन प्रेषित किये जाते हैं तो उसे अनिवार्य रूप से उस कार्मिक की व्यक्तिगत पत्रावली में रखा जायेगा और ऐसे प्रत्यावेदनों को अग्रसारित नही किया जायेगा तथा सम्बन्धित कार्मिक की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि में भी इस आचरण को अंकित किया जायेगा।
7. यदि स्थानान्तरित कार्मिक स्थानान्तरण आदेश के विरूद्व दबाव डलवाने का प्रयास करे तो, उसके इस कृत्य / आचरण को "सरकारी आचरण नियमावली" का उल्लंघन मानते हुये उसके विरूद्व "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली–2003 (समय समय पर यथासंशोधित) के संगत प्राविधानों के अनुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
8. जो कोई इस अधिनियम के अधीन दिए गए किसी आदेश या निर्देश का, ऐसे समय के भीतर, जो उक्त आदेश या निर्देश में विनिर्दिष्ट किया जाय, अनुपालन करने में असफल रहेगा या इस अधिनियम के किन्हीं उपबन्धों का उल्लघंन करेगा या उल्लंघन करने का प्रयास करेगा वह "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुपालन एवं अपील) नियमावली 2003 (समय समय पर यथासंशोधित) के संगत प्राविधानों के अधीन दण्डनीय होगा।
9. उक्त कार्मिक को उनके गृह तहसील में तैनात नहीं किया जायेगा।

जयपाल सिंह
प्रमुख अभियन्ता

पत्रांकः 3978 / प्र0अ0 / सिं0वि0 / का0–2 / तदिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता स्तर–I / II, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
2. सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
3. सम्बन्धित कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4. विभागीय पोर्टल / बेवसाईट पर अपलोड हेतु।
5. गार्ड फाईल।

(कपिल कुमार)
वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी(कार्मिक–2)
कृते प्रमुख अभियन्ता

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
(कार्मिक अनुभाग–2) सिंचाई विभाग,
उत्तराखण्ड़, देहरादून

पत्रांकः 3979 / प्र0अ0 / सिं0वि0 / का0–2 / ई–14 / स्था0, दिनांक ~~10~~ 12 जुलाई 2024

:– कार्यालय ज्ञाप –:

उत्तराखण्ड़ लोक सेवकों के लिए निर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम–2017 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत मण्डलीय अनुसचिवीय अधिष्ठान में कार्यरत निम्नलिखित वरिष्ठ सहायक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कालम–3 में उल्लखित कार्यालय से कालम–4 में अंकित कार्यालय में एतद्द्वारा जनहित में स्थानान्तरित किया जाता है।

क0 सं0	नाम / जन्मतिथि	कार्यरत कार्यालय का नाम	स्थानान्तररित कार्यालय का नाम	स्थानान्तरण अधिनियम की धारा
1	2	3	4	5
(अनिवार्य स्थानान्तरण सुगम से दुर्गम)				
1	श्री राजेश रावत / 21.02.88	परिकल्प मण्डल, रुड़की	सिंचाई कार्य मण्डल, नई टिहरी	अधिनियम की धारा–17(1)(क) से आच्छादित।

सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि स्थानान्तरण अधिनियम–2017 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत अपने अधीनस्थ कार्यालय में स्थानान्तरित प्रत्येक कार्मिक को निर्धारित समयान्तर्गत कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेगें तथा अनुपालन आख्या तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध करायेगें:–

1. स्थानान्तरित कार्मिक को पदस्थापित कार्यालय में आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के अन्तर्गत बिना किसी प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। तद्नुसार सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी द्वारा सम्बन्धित कार्मिक को सस्मय कार्यमुक्त कराना होगा।
2. स्थानान्तरित कार्मिक को कार्यमुक्त किये जाने के उपरान्त वर्तमान कार्यालय द्वारा वेतन आहरित नहीं किया जायेगा।
3. स्थानान्तरित कार्मिक को नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining) का उपभोग कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त कर सकेगें।
4. स्थानान्तरित कार्मिक को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
5. स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरूद्व धारा 24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
6. यदि स्थानान्तरित कार्मिकों द्वारा स्थानान्तरण रोकने के लिए अपने माता–पिता, पति / पत्नी अथवा अन्य सम्बन्धियों से प्रत्यावेदन प्रेषित किये जाते हैं तो उसे अनिवार्य रूप से उस कार्मिक की व्यक्तिगत पत्रावली में रखा जायेगा और ऐसे प्रत्यावेदनों को अग्रसारित नही किया जायेगा तथा सम्बन्धित कार्मिक की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि में भी इस आचरण को अंकित किया जायेगा।
7. यदि स्थानान्तरित कार्मिक स्थानान्तरण आदेश के विरूद्व दबाव डलवाने का प्रयास करे तो, उसके इस कृत्य / आचरण को "सरकारी आचरण नियमावली" का उल्लंघन मानते हुये उसके विरूद्व "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली–2003 (समय समय पर यथासंशोधित) के संगत प्राविधानों के अनुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
8. जो कोई इस अधिनियम के अधीन दिए गए किसी आदेश या निर्देश का, ऐसे समय के भीतर, जो उक्त आदेश या निर्देश में विनिर्दिष्ट किया जाय, अनुपालन करने में असफल रहेगा या इस अधिनियम के किन्हीं उपबन्धों का उल्लघंन करेगा या उल्लंघन करने का प्रयास करेगा वह "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुपालन एवं अपील) नियमावली 2003 (समय समय पर यथासंशोधित) के संगत प्राविधानों के अधीन दण्डनीय होगा।
9. उक्त कार्मिक को उनके गृह तहसील में तैनात नहीं किया जायेगा।

जयपाल सिंह
प्रमुख अभियन्ता

पत्रांकः 3979 / प्र0अ0 / सिं0वि0 / का0–2 / तदिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता स्तर–I / II, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
2. सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
3. सम्बन्धित कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4. विभागीय पोर्टल / बेवसाईट पर अपलोड हेतु।
5. गार्ड फाईल।

(कपिल कुमार)
वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी(कार्मिक–2)
कृते प्रमुख अभियन्ता

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
(कार्मिक अनुभाग–2) सिंचाई विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून

पत्रांकः 3980 / प्र0अ0 / सिं0वि0 / का0–2 / ई–14 / स्था0, दिनांक ~~10~~ 12 जुलाई 2024

:– कार्यालय ज्ञाप –:

उत्तराखण्ड़ लोक सेवकों के लिए निर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम–2017 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत मण्डलीय अनुसचिवीय अधिष्ठान में कार्यरत निम्नलिखित वरिष्ठ सहायक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कालम–3 में उल्लखित कार्यालय से कालम–4 में अंकित कार्यालय में एतद्द्वारा जनहित में स्थानान्तरित किया जाता है।

क0 सं0	नाम / जन्मतिथि	कार्यरत कार्यालय का नाम	स्थानान्तररित कार्यालय का नाम	स्थानान्तरण अधिनियम की धारा
1	2	3	4	5
(अनिवार्य स्थानान्तरण सुगम से दुर्गम)				
1	श्री दलीप कुमार / 29.08.81	परिकल्प मण्डल, रुड़की	नलकूप मण्डल, अल्मोड़ा	अधिनियम की धारा–17(1)(क) से आच्छादित।

सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि स्थानान्तरण अधिनियम–2017 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत अपने अधीनस्थ कार्यालय में स्थानान्तरित प्रत्येक कार्मिक को निर्धारित समयान्तर्गत कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेगें तथा अनुपालन आख्या तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध करायेगें:–

1. स्थानान्तरित कार्मिक को पदस्थापित कार्यालय में आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के अन्तर्गत बिना किसी प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। तद्नुसार सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी द्वारा सम्बन्धित कार्मिक को सस्मय कार्यमुक्त कराना होगा।
2. स्थानान्तरित कार्मिक को कार्यमुक्त किये जाने के उपरान्त वर्तमान कार्यालय द्वारा वेतन आहरित नहीं किया जायेगा।
3. स्थानान्तरित कार्मिक को नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining) का उपभोग कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त कर सकेगें।
4. स्थानान्तरित कार्मिक को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
5. स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरूद्व धारा 24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
6. यदि स्थानान्तरित कार्मिकों द्वारा स्थानान्तरण रोकने के लिए अपने माता–पिता, पति / पत्नी अथवा अन्य सम्बन्धियों से प्रत्यावेदन प्रेषित किये जाते हैं तो उसे अनिवार्य रूप से उस कार्मिक की व्यक्तिगत पत्रावली में रखा जायेगा और ऐसे प्रत्यावेदनों को अग्रसारित नही किया जायेगा तथा सम्बन्धित कार्मिक की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि में भी इस आचरण को अंकित किया जायेगा।
7. यदि स्थानान्तरित कार्मिक स्थानान्तरण आदेश के विरूद्व दबाव डलवाने का प्रयास करे तो, उसके इस कृत्य / आचरण को "सरकारी आचरण नियमावली" का उल्लंघन मानते हुये उसके विरूद्व "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली–2003 (समय समय पर यथासंशोधित) के संगत प्राविधानों के अनुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
8. जो कोई इस अधिनियम के अधीन दिए गए किसी आदेश या निर्देश का, ऐसे समय के भीतर, जो उक्त आदेश या निर्देश में विनिर्दिष्ट किया जाय, अनुपालन करने में असफल रहेगा या इस अधिनियम के किन्हीं उपबन्धों का उल्लघंन करेगा या उल्लंघन करने का प्रयास करेगा वह "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुपालन एवं अपील) नियमावली 2003 (समय समय पर यथासंशोधित) के संगत प्राविधानों के अधीन दण्डनीय होगा।
9. उक्त कार्मिक को उनके गृह तहसील में तैनात नहीं किया जायेगा।

जयपाल सिंह
प्रमुख अभियन्ता

पत्रांकः 3980 / प्र0अ0 / सिं0वि0 / का0–2 / तदिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता स्तर–I / II, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
2. सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
3. सम्बन्धित कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4. विभागीय पोर्टल / बेवसाईट पर अपलोड हेतु।
5. गार्ड फाईल।

(कपिल कुमार)
वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी(कार्मिक–2)
कृते प्रमुख अभियन्ता

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
(कार्मिक अनुभाग–2) सिंचाई विभाग,
उत्तराखण्ड़, देहरादून

पत्रांकः 3981 / प्र0अ0 / सिं0वि0 / का0–2 / ई–14 / स्था0, दिनांक ~~10~~ 12 जुलाई 2024

:– कार्यालय ज्ञाप –:

उत्तराखण्ड़ लोक सेवकों के लिए निर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम–2017 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत मण्डलीय अनुसचिवीय अधिष्ठान में कार्यरत निम्नलिखित प्रधान सहायक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कालम–3 में उल्लखित कार्यालय से कालम–4 में अंकित कार्यालय में एतद्द्वारा जनहित में स्थानान्तरित किया जाता है।

क0 सं0	नाम / जन्मतिथि	कार्यरत कार्यालय का नाम	स्थानान्तररित कार्यालय का नाम	स्थानान्तरण अधिनियम की धारा
1	2	3	4	5
(अनिवार्य स्थानान्तरण दुर्गम से सुगम)				
1	श्री कृष्ण गोपाल / 10.01.73	सिंचाई कार्य मण्डल, रुद्रप्रयाग	सिंचाई कार्य मण्डल, देहरादून	अधिनियम की धारा–17(1)(ग) से आच्छादित।

सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि स्थानान्तरण अधिनियम–2017 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत अपने अधीनस्थ कार्यालय में स्थानान्तरित प्रत्येक कार्मिक को निर्धारित समयान्तर्गत कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेगें तथा अनुपालन आख्या तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध करायेगें:–

1. स्थानान्तरित कार्मिक को पदस्थापित कार्यालय में आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह क़े अन्तर्गत बिना किसी प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। तद्नुसार सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी द्वारा सम्बन्धित कार्मिक को सस्मय कार्यमुक्त करना होगा।
2. स्थानान्तरित कार्मिक को कार्यमुक्त किये जाने के उपरान्त वर्तमान कार्यालय द्वारा वेतन आहरित नहीं किया जायेगा।
3. स्थानान्तरित कार्मिक को नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining) का उपभोग कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त कर सकेगें।
4. स्थानान्तरित कार्मिक को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
5. स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरूद्व धारा 24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
6. यदि स्थानान्तरित कार्मिकों द्वारा स्थानान्तरण रोकने के लिए अपने माता–पिता, पति / पत्नी अथवा अन्य सम्बन्धियों से प्रत्यावेदन प्रेषित किये जाते हैं तो उसे अनिवार्य रूप से उस कार्मिक की व्यक्तिगत पत्रावली में रखा जायेगा और ऐसे प्रत्यावेदनों को अग्रसारित नही किया जायेगा तथा सम्बन्धित कार्मिक की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि में भी इस आचरण को अंकित किया जायेगा।
7. यदि स्थानान्तरित कार्मिक स्थानान्तरण आदेश के विरूद्व दबाव डलवाने का प्रयास करे तो, उसके इस कृत्य / आचरण को "सरकारी आचरण नियमावली" का उल्लंघन मानते हुये उसके विरूद्व "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली–2003 (समय समय पर यथासंशोधित) के संगत प्राविधानों के अनुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
8. जो कोई इस अधिनियम के अधीन दिए गए किसी आदेश या निर्देश का, ऐसे समय के भीतर, जो उक्त आदेश या निर्देश में विनिर्दिष्ट किया जाय, अनुपालन करने में असफल रहेगा या इस अधिनियम के किन्हीं उपबन्धों का उल्लघंन करेगा या उल्लंघन करने का प्रयास करेगा वह "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुपालन एवं अपील) नियमावली 2003 (समय समय पर यथासंशोधित) के संगत प्राविधानों के अधीन दण्डनीय होगा।
9. उक्त कार्मिक को उनके गृह तहसील में तैनात नहीं किया जायेगा।

जयपाल सिंह
प्रमुख अभियन्ता

पत्रांकः 3981 / प्र0अ0 / सिं0वि0 / का0–2 / तदिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता स्तर–।/ ।।, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
2. सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
3. सम्बन्धित कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4. विभागीय पोर्टल / बेवसाईट पर अपलोड हेतु।
5. गार्ड फाईल।

(कपिल कुमार)
वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी(कार्मिक–2)
कृते प्रमुख अभियन्ता

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
(कार्मिक अनुभाग–2) सिंचाई विभाग,
उत्तराखण्ड़, देहरादून

पत्रांकः 3982 / प्र0अ0 / सिं0वि0 / का0–2 / ई–14 / स्था0, दिनांक ~~10~~ 12 जुलाई 2024

:– कार्यालय ज्ञाप –:

उत्तराखण्ड़ लोक सेवकों के लिए निर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम–2017 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत मण्डलीय अनुसचिवीय अधिष्ठान में कार्यरत निम्नलिखित प्रधान सहायक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कालम–3 में उल्लखित कार्यालय से कालम–4 में अंकित कार्यालय में एतद्द्वारा अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरित किया जाता है।

क0 सं0	नाम / जन्मतिथि	कार्यरत कार्यालय का नाम	स्थानान्तररित कार्यालय का नाम	स्थानान्तरण अधिनियम की धारा
1	2	3	4	5
(अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण)				
1	श्री अतुल जैन / 01.04.66	सिंचाई कार्य मण्डल, नई टिहरी	नलकूप मण्डल, देहरादून	अधिनियम की धारा–17(1)(ख) (पांच) से आच्छादित।

सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि स्थानान्तरण अधिनियम–2017 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत अपने अधीनस्थ कार्यालय में स्थानान्तरित प्रत्येक कार्मिक को निर्धारित समयान्तर्गत कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेगें तथा अनुपालन आख्या तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध करायेगें:–

1. स्थानान्तरित कार्मिक को पदस्थापित कार्यालय में आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के अन्तर्गत बिना किसी प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। तद्नुसार सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी द्वारा सम्बन्धित कार्मिक को सस्मय कार्यमुक्त कराना होगा।
2. स्थानान्तरित कार्मिक को कार्यमुक्त किये जाने के उपरान्त वर्तमान कार्यालय द्वारा वेतन आहरित नहीं किया जायेगा।
3. स्थानान्तरित कार्मिक को नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining) का उपभोग कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त कर सकेगें।
4. स्थानान्तरित कार्मिक को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
5. स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरूद्व धारा 24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
6. यदि स्थानान्तरित कार्मिकों द्वारा स्थानान्तरण रोकने के लिए अपने माता–पिता, पति / पत्नी अथवा अन्य सम्बन्धियों से प्रत्यावेदन प्रेषित किये जाते हैं तो उसे अनिवार्य रूप से उस कार्मिक की व्यक्तिगत पत्रावली में रखा जायेगा और ऐसे प्रत्यावेदनों को अग्रसारित नही किया जायेगा तथा सम्बन्धित कार्मिक की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि में भी इस आचरण को अंकित किया जायेगा।
7. यदि स्थानान्तरित कार्मिक स्थानान्तरण आदेश के विरूद्व दबाव डलवाने का प्रयास करे तो, उसके इस कृत्य / आचरण को "सरकारी आचरण नियमावली" का उल्लंघन मानते हुये उसके विरूद्व "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली–2003 (समय समय पर यथासंशोधित) के संगत प्राविधानों के अनुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
8. जो कोई इस अधिनियम के अधीन दिए गए किसी आदेश या निर्देश का, ऐसे समय के भीतर, जो उक्त आदेश या निर्देश में विनिर्दिष्ट किया जाय, अनुपालन करने में असफल रहेगा या इस अधिनियम के किन्हीं उपबन्धों का उल्लघंन करेगा या उल्लंघन करने का प्रयास करेगा वह "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुपालन एवं अपील) नियमावली 2003 (समय समय पर यथासंशोधित) के संगत प्राविधानों के अधीन दण्डनीय होगा।
9. उक्त कार्मिक को उनके गृह तहसील में तैनात नहीं किया जायेगा।
10. अनुरोध के आधार पर किये गये स्थानान्तरण के फलस्वरुप सम्बन्धित कार्मिक को स्थानान्तरण यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

जयपाल सिंह
प्रमुख अभियन्ता

पत्रांकः 3982 / प्र0अ0 / सिं0वि0 / का0–2 / तदिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता स्तर–I / II, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
2. सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
3. सम्बन्धित कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4. विभागीय पोर्टल / बेवसाईट पर अपलोड हेतु।
5. गार्ड फाईल।

(कपिल कुमार)
वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी(कार्मिक–2)
कृते प्रमुख अभियन्ता

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
(कार्मिक अनुभाग–2) सिंचाई विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून

पत्रांकः 3983 / प्र0अ0 / सिं0वि0 / का0–2 / ई–14 / स्था0, दिनांक ~~10~~ 12 जुलाई 2024

:– कार्यालय ज्ञाप –:

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए निर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम–2017 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत मण्डलीय अनुसचिवीय अधिष्ठान में कार्यरत निम्नलिखित वरिष्ठ सहायक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कालम–3 में उल्लखित कार्यालय से कालम–4 में अंकित कार्यालय में एतद्द्वारा अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरित किया जाता है।

क0 सं0	नाम / जन्मतिथि	कार्यरत कार्यालय का नाम	स्थानान्तररित कार्यालय का नाम	स्थानान्तरण अधिनियम की धारा
1	2	3	4	5
(अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण)				
1	श्री बालम सिंह / 12.09.64	नलकूप मण्डल, देहरादून	सिंचाई कार्य मण्डल, उत्तरकाशी	अधिनियम की धारा–17(1)(ख) (पांच) एवं (सात) से आच्छादित।

सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि स्थानान्तरण अधिनियम–2017 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत अपने अधीनस्थ कार्यालय में स्थानान्तरित प्रत्येक कार्मिक को निर्धारित समयान्तर्गत कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेगें तथा अनुपालन आख्या तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध करायेगें:–

1. स्थानान्तरित कार्मिक को पदस्थापित कार्यालय में आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के अन्तर्गत बिना किसी प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। तद्नुसार सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी द्वारा सम्बन्धित कार्मिक को सस्मय कार्यमुक्त कराना होगा।
2. स्थानान्तरित कार्मिक को कार्यमुक्त किये जाने के उपरान्त वर्तमान कार्यालय द्वारा वेतन आहरित नहीं किया जायेगा।
3. स्थानान्तरित कार्मिक को नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining) का उपभोग कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त कर सकेगें।
4. स्थानान्तरित कार्मिक को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
5. स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरूद्व धारा 24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
6. यदि स्थानान्तरित कार्मिकों द्वारा स्थानान्तरण रोकने के लिए अपने माता–पिता, पति / पत्नी अथवा अन्य सम्बन्धियों से प्रत्यावेदन प्रेषित किये जाते हैं तो उसे अनिवार्य रूप से उस कार्मिक की व्यक्तिगत पत्रावली में रखा जायेगा और ऐसे प्रत्यावेदनों को अग्रसारित नही किया जायेगा तथा सम्बन्धित कार्मिक की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि में भी इस आचरण को अंकित किया जायेगा।
7. यदि स्थानान्तरित कार्मिक स्थानान्तरण आदेश के विरूद्व दबाव डलवाने का प्रयास करे तो, उसके इस कृत्य / आचरण को "सरकारी आचरण नियमावली" का उल्लंघन मानते हुये उसके विरूद्व "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली–2003 (समय समय पर यथासंशोधित) के संगत प्राविधानों के अनुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
8. जो कोई इस अधिनियम के अधीन दिए गए किसी आदेश या निर्देश का, ऐसे समय के भीतर, जो उक्त आदेश या निर्देश में विनिर्दिष्ट किया जाय, अनुपालन करने में असफल रहेगा या इस अधिनियम के किन्हीं उपबन्धों का उल्लघंन करेगा या उल्लंघन करने का प्रयास करेगा वह "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुपालन एवं अपील) नियमावली 2003 (समय समय पर यथासंशोधित) के संगत प्राविधानों के अधीन दण्डनीय होगा।
9. उक्त कार्मिक को उनके गृह तहसील में तैनात नहीं किया जायेगा।
10. अनुरोध के आधार पर किये गये स्थानान्तरण के फलस्वरुप सम्बन्धित कार्मिक को स्थानान्तरण यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

जयपाल सिंह
प्रमुख अभियन्ता

पत्रांकः 3983 / प्र0अ0 / सिं0वि0 / का0–2 / तदिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता स्तर–I / II, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
2. सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
3. सम्बन्धित कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4. विभागीय पोर्टल / बेवसाईट पर अपलोड हेतु।
5. गार्ड फाईल।

(कपिल कुमार)
वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी(कार्मिक–2)
कृते प्रमुख अभियन्ता

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
(कार्मिक अनुभाग–2) सिंचाई विभाग,
उत्तराखण्ड़, देहरादून

पत्रांकः 3984 / प्र0अ0 / सिं0वि0 / का0–2 / ई–14 / स्था0, दिनांक ~~10~~ 12 जुलाई 2024

:– कार्यालय ज्ञाप –:

उत्तराखण्ड़ लोक सेवकों के लिए निर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम–2017 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत मण्डलीय अनुसचिवीय अधिष्ठान में कार्यरत निम्नलिखित वरिष्ठ सहायक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कालम–3 में उल्लखित कार्यालय से कालम–4 में अंकित कार्यालय में एतद्द्वारा अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरित किया जाता है।

क0 सं0	नाम / जन्मतिथि	कार्यरत कार्यालय का नाम	स्थानान्तररित कार्यालय का नाम	स्थानान्तरण अधिनियम की धारा
1	2	3	4	5
(अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण)				
1	श्री राम शंकर / 30.06.73	सिंचाई कार्य मण्डल, पिथौरागढ़	नलकूप मण्डल, हल्द्वानी	अधिनियम की धारा–17(1)(ख) (एक) से आच्छादित।

सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि स्थानान्तरण अधिनियम–2017 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत अपने अधीनस्थ कार्यालय में स्थानान्तरित प्रत्येक कार्मिक को निर्धारित समयान्तर्गत कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेगें तथा अनुपालन आख्या तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध करायेगें:–

1. स्थानान्तरित कार्मिक को पदस्थापित कार्यालय में आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के अन्तर्गत बिना किसी प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये, बिना कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। तद्नुसार सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी द्वारा सम्बन्धित कार्मिक को सस्मय कार्यमुक्त कराना होगा।
2. स्थानान्तरित कार्मिक को कार्यमुक्त किये जाने के उपरान्त वर्तमान कार्यालय द्वारा वेतन आहरित नहीं किया जायेगा।
3. स्थानान्तरित कार्मिक को नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining) का उपभोग कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त कर सकेगें।
4. स्थानान्तरित कार्मिक को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
5. स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरूद्व धारा 24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
6. यदि स्थानान्तरित कार्मिकों द्वारा स्थानान्तरण रोकने के लिए अपने माता–पिता, पति / पत्नी अथवा अन्य सम्बन्धियों से प्रत्यावेदन प्रेषित किये जाते हैं तो उसे अनिवार्य रूप से उस कार्मिक की व्यक्तिगत पत्रावली में रखा जायेगा और ऐसे प्रत्यावेदनों को अग्रसारित नही किया जायेगा तथा सम्बन्धित कार्मिक की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि में भी इस आचरण को अंकित किया जायेगा।
7. यदि स्थानान्तरित कार्मिक स्थानान्तरण आदेश के विरूद्व दबाव डलवाने का प्रयास करे तो, उसके इस कृत्य / आचरण को "सरकारी आचरण नियमावली" का उल्लंघन मानते हुये उसके विरूद्व "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली–2003 (समय समय पर यथासंशोधित) के संगत प्राविधानों के अनुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
8. जो कोई इस अधिनियम के अधीन दिए गए किसी आदेश या निर्देश का, ऐसे समय के भीतर, जो उक्त आदेश या निर्देश में विनिर्दिष्ट किया जाय, अनुपालन करने में असफल रहेगा या इस अधिनियम के किन्हीं उपबन्धों का उल्लघंन करेगा या उल्लंघन करने का प्रयास करेगा वह "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुपालन एवं अपील) नियमावली 2003 (समय समय पर यथासंशोधित) के संगत प्राविधानों के अधीन दण्डनीय होगा।
9. उक्त कार्मिक को उनके गृह तहसील में तैनात नहीं किया जायेगा।
10. अनुरोध के आधार पर किये गये स्थानान्तरण के फलस्वरुप सम्बन्धित कार्मिक को स्थानान्तरण यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

जयपाल सिंह
प्रमुख अभियन्ता

पत्रांकः 3984 / प्र0अ0 / सिं0वि0 / का0–2 / तदिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता स्तर–I / II, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
2. सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
3. सम्बन्धित कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4. विभागीय पोर्टल / बेवसाईट पर अपलोड हेतु।
5. गार्ड फाईल।

(कपिल कुमार)
वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी(कार्मिक–2)
कृते प्रमुख अभियन्ता

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
(कार्मिक अनुभाग–2) सिंचाई विभाग,
उत्तराखण्ड़, देहरादून

पत्रांकः 3985 / प्र0अ0 / सिं0वि0 / का0–2 / ई–14 / स्था0, दिनांक ~~10~~ 12 जुलाई 2024

:– कार्यालय ज्ञाप –:

उत्तराखण्ड़ लोक सेवकों के लिए निर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम–2017 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत मण्डलीय अनुसचिवीय अधिष्ठान में कार्यरत निम्नलिखित वरिष्ठ सहायक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कालम–3 में उल्लखित कार्यालय से कालम–4 में अंकित कार्यालय में एतद्द्वारा अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरित किया जाता है।

क0 सं0	नाम / जन्मतिथि	कार्यरत कार्यालय का नाम	स्थानान्तररित कार्यालय का नाम	स्थानान्तरण अधिनियम की धारा
1	2	3	4	5
(अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण)				
1	श्रीमती माया / 09.02.79	जल विज्ञान मण्डल, बहादराबाद	परियोजना मण्डल, देहरादून	अधिनियम की धारा–17(1)(ख) (एक) एवं (पांच) से आच्छादित।

सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि स्थानान्तरण अधिनियम–2017 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत अपने अधीनस्थ कार्यालय में स्थानान्तरित प्रत्येक कार्मिक को निर्धारित समयान्तर्गत कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेगें तथा अनुपालन आख्या तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध करायेगें:–

1. स्थानान्तरित कार्मिक को पदस्थापित कार्यालय में आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के अन्तर्गत बिना किसी प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। तद्नुसार सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी द्वारा सम्बन्धित कार्मिक को सस्मय कार्यमुक्त कराना होगा।
2. स्थानान्तरित कार्मिक को कार्यमुक्त किये जाने के उपरान्त वर्तमान कार्यालय द्वारा वेतन आहरित नहीं किया जायेगा।
3. स्थानान्तरित कार्मिक को नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining) का उपभोग कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त कर सकेगें।
4. स्थानान्तरित कार्मिक को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
5. स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरूद्व धारा 24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
6. यदि स्थानान्तरित कार्मिकों द्वारा स्थानान्तरण रोकने के लिए अपने माता–पिता, पति / पत्नी अथवा अन्य सम्बन्धियों से प्रत्यावेदन प्रेषित किये जाते हैं तो उसे अनिवार्य रूप से उस कार्मिक की व्यक्तिगत पत्रावली में रखा जायेगा और ऐसे प्रत्यावेदनों को अग्रसारित नही किया जायेगा तथा सम्बन्धित कार्मिक की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि में भी इस आचरण को अंकित किया जायेगा।
7. यदि स्थानान्तरित कार्मिक स्थानान्तरण आदेश के विरूद्व दबाव डलवाने का प्रयास करे तो, उसके इस कृत्य / आचरण को "सरकारी आचरण नियमावली" का उल्लंघन मानते हुये उसके विरूद्व "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली–2003 (समय समय पर यथासंशोधित) के संगत प्राविधानों के अनुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
8. जो कोई इस अधिनियम के अधीन दिए गए किसी आदेश या निर्देश का, ऐसे समय के भीतर, जो उक्त आदेश या निर्देश में विनिर्दिष्ट किया जाय, अनुपालन करने में असफल रहेगा या इस अधिनियम के किन्हीं उपबन्धों का उल्लघंन करेगा या उल्लंघन करने का प्रयास करेगा वह "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुपालन एवं अपील) नियमावली 2003 (समय समय पर यथासंशोधित) के संगत प्राविधानों के अधीन दण्डनीय होगा।
9. उक्त कार्मिक को उनके गृह तहसील में तैनात नहीं किया जायेगा।
10. अनुरोध के आधार पर किये गये स्थानान्तरण के फलस्वरुप सम्बन्धित कार्मिक को स्थानान्तरण यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

जयपाल सिंह
प्रमुख अभियन्ता

पत्रांकः 3985 / प्र0अ0 / सिं0वि0 / का0–2 / तदिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता स्तर–I / II, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
2. सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
3. सम्बन्धित कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4. विभागीय पोर्टल / बेवसाईट पर अपलोड हेतु।
5. गार्ड फाईल।

(कपिल कुमार)
वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी(कार्मिक–2)
कृते प्रमुख अभियन्ता

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
(कार्मिक अनुभाग–2) सिंचाई विभाग,
उत्तराखण्ड़, देहरादून

पत्रांकः 3986 / प्र0अ0 / सिं0वि0 / का0–2 / ई–14 / स्था0,

दिनांक ~~10~~ 12 जुलाई 2024

:– कार्यालय ज्ञाप –:

उत्तराखण्ड़ लोक सेवकों के लिए निर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम–2017 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत मण्डलीय अनुसचिवीय अधिष्ठान में कार्यरत निम्नलिखित कनिष्ठ सहायक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कालम–3 में उल्लखित कार्यालय से कालम–4 में अंकित कार्यालय में एतद्द्वारा अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरित किया जाता है।

क0 सं0	नाम / जन्मतिथि	कार्यरत कार्यालय का नाम	स्थानान्तररित कार्यालय का नाम	स्थानान्तरण अधिनियम की धारा
1	2	3	4	5
(अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण)				
1	श्रीमती प्रियांशा / 26.11.02	सिंचाई कार्य मण्डल, उत्तरकाशी	सिंचाई कार्य मण्डल, हरिद्वार	अधिनियम की धारा–17(1)(ख) (एक) से आच्छादित।

सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि स्थानान्तरण अधिनियम–2017 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत अपने अधीनस्थ कार्यालय में स्थानान्तरित प्रत्येक कार्मिक को निर्धारित समयान्तर्गत कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेगें तथा अनुपालन आख्या तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध करायेगें:–

1. स्थानान्तरित कार्मिक को पदस्थापित कार्यालय में आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के अन्तर्गत बिना किसी प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। तद्नुसार सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी द्वारा सम्बन्धित कार्मिक को सस्मय कार्यमुक्त कराना होगा।
2. स्थानान्तरित कार्मिक को कार्यमुक्त किये जाने के उपरान्त वर्तमान कार्यालय द्वारा वेतन आहरित नहीं किया जायेगा।
3. स्थानान्तरित कार्मिक को नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining) का उपभोग कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त कर सकेगें।
4. स्थानान्तरित कार्मिक को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
5. स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरूद्व धारा 24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
6. यदि स्थानान्तरित कार्मिकों द्वारा स्थानान्तरण रोकने के लिए अपने माता–पिता, पति / पत्नी अथवा अन्य सम्बन्धियों से प्रत्यावेदन प्रेषित किये जाते हैं तो उसे अनिवार्य रूप से उस कार्मिक की व्यक्तिगत पत्रावली में रखा जायेगा और ऐसे प्रत्यावेदनों को अग्रसारित नही किया जायेगा तथा सम्बन्धित कार्मिक की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि में भी इस आचरण को अंकित किया जायेगा।
7. यदि स्थानान्तरित कार्मिक स्थानान्तरण आदेश के विरूद्व दबाव डलवाने का प्रयास करे तो, उसके इस कृत्य / आचरण को "सरकारी आचरण नियमावली" का उल्लंघन मानते हुये उसके विरूद्व "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली–2003 (समय समय पर यथासंशोधित) के संगत प्राविधानों के अनुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
8. जो कोई इस अधिनियम के अधीन दिए गए किसी आदेश या निर्देश का, ऐसे समय के भीतर, जो उक्त आदेश या निर्देश में विनिर्दिष्ट किया जाय, अनुपालन करने में असफल रहेगा या इस अधिनियम के किन्हीं उपबन्धों का उल्लघंन करेगा या उल्लंघन करने का प्रयास करेगा वह "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुपालन एवं अपील) नियमावली 2003 (समय समय पर यथासंशोधित) के संगत प्राविधानों के अधीन दण्डनीय होगा।
9. उक्त कार्मिक को उनके गृह तहसील में तैनात नहीं किया जायेगा।
10. अनुरोध के आधार पर किये गये स्थानान्तरण के फलस्वरुप सम्बन्धित कार्मिक को स्थानान्तरण यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

जयपाल सिंह
प्रमुख अभियन्ता

पत्रांकः 3986 / प्र0अ0 / सिं0वि0 / का0–2 / तदिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता स्तर–I / II, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
2. सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
3. सम्बन्धित कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4. विभागीय पोर्टल / बेवसाईट पर अपलोड हेतु।
5. गार्ड फाईल।

(कपिल कुमार)
वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी(कार्मिक–2)
कृते प्रमुख अभियन्ता

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
(कार्मिक अनुभाग–2) सिंचाई विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून

पत्रांकः 3987 / प्र0अ0 / सिं0वि0 / का0–2 / ई–14 / स्था0,

दिनांक ~~10~~ 12 जुलाई 2024

:– कार्यालय ज्ञाप –:

उत्तराखण्ड़ लोक सेवकों के लिए निर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम–2017 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत मण्डलीय अनुसचिवीय अधिष्ठान में कार्यरत निम्नलिखित कनिष्ठ सहायक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कालम–3 में उल्लखित कार्यालय से कालम–4 में अंकित कार्यालय में एतद्द्वारा अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरित किया जाता है।

क0 सं0	नाम / जन्मतिथि	कार्यरत कार्यालय का नाम	स्थानान्तररित कार्यालय का नाम	स्थानान्तरण अधिनियम की धारा
1	2	3	4	5
(अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण)				
1	श्रीमती लक्ष्मी बिष्ट / 05.09.70	सिंचाई कार्य मण्डल, नई टिहरी	नलकूप मण्डल, रुड़की	अधिनियम की धारा–17(1)(ख) (पांच) से आच्छादित।

सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि स्थानान्तरण अधिनियम–2017 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत अपने अधीनस्थ कार्यालय में स्थानान्तरित प्रत्येक कार्मिक को निर्धारित समयान्तर्गत कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेगें तथा अनुपालन आख्या तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध करायेगें:–

1. स्थानान्तरित कार्मिक को पदस्थापित कार्यालय में आदेश निर्गत होनें की तिथि से एक सप्ताह के अन्तर्गत बिना किसी प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। तद्नुसार सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी द्वारा सम्बन्धित कार्मिक को सस्मय कार्यमुक्त कराना होगा।
2. स्थानान्तरित कार्मिक को कार्यमुक्त किये जाने के उपरान्त वर्तमान कार्यालय द्वारा वेतन आहरित नहीं किया जायेगा।
3. स्थानान्तरित कार्मिक को नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining) का उपभोग कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त कर सकेगें।
4. स्थानान्तरित कार्मिक को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
5. स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरूद्व धारा 24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
6. यदि स्थानान्तरित कार्मिकों द्वारा स्थानान्तरण रोकने के लिए अपने माता–पिता, पति / पत्नी अथवा अन्य सम्बन्धियों से प्रत्यावेदन प्रेषित किये जाते हैं तो उसे अनिवार्य रूप से उस कार्मिक की व्यक्तिगत पत्रावली में रखा जायेगा और ऐसे प्रत्यावेदनों को अग्रसारित नही किया जायेगा तथा सम्बन्धित कार्मिक की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि में भी इस आचरण को अंकित किया जायेगा।
7. यदि स्थानान्तरित कार्मिक स्थानान्तरण आदेश के विरूद्व दबाव डलवाने का प्रयास करे तो, उसके इस कृत्य / आचरण को "सरकारी आचरण नियमावली" का उल्लंघन मानते हुये उसके विरूद्व "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली–2003 (समय समय पर यथासंशोधित) के संगत प्राविधानों के अनुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
8. जो कोई इस अधिनियम के अधीन दिए गए किसी आदेश या निर्देश का, ऐसे समय के भीतर, जो उक्त आदेश या निर्देश में विनिर्दिष्ट किया जाय, अनुपालन करने में असफल रहेगा या इस अधिनियम के किन्हीं उपबन्धों का उल्लघंन करेगा या उल्लंघन करने का प्रयास करेगा वह "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुपालन एवं अपील) नियमावली 2003 (समय समय पर यथासंशोधित) के संगत प्राविधानों के अधीन दण्डनीय होगा।
9. उक्त कार्मिक को उनके गृह तहसील में तैनात नहीं किया जायेगा।
10. अनुरोध के आधार पर किये गये स्थानान्तरण के फलस्वरुप सम्बन्धित कार्मिक को स्थानान्तरण यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

जयपाल सिंह
प्रमुख अभियन्ता

पत्रांकः 3987 / प्र0अ0 / सिं0वि0 / का0–2 / तदिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता स्तर–I / II, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
2. सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
3. सम्बन्धित कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4. विभागीय पोर्टल / बेवसाईट पर अपलोड हेतु।
5. गार्ड फाईल।

(कपिल कुमार)
वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी(कार्मिक–2)
कृते प्रमुख अभियन्ता